पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सौरव बसु

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 की आपराधिक विविध सं. 21160

13 सितंबर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता, एक निजी कंपनी (एस आर एन एच) के उपाध्यक्ष के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल न किए जाने की स्थिति में धारा 482 दं. प्र. सं. के तहत रद्द किया जा सकता है, जहां सरकारी प्रशिक्षण योजनाओं के तहत वित्तीय गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप मुख्य रूप से कंपनी के खिलाफ हैं।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – अंतर्निहित शक्तियाँ – आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना – कंपनी के अधिकारियों का प्रतिनिधि दायित्व –

हालांकि, कंपनी के अधिकारियों पर प्रतिरूपी दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है, लेकिन जहां ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप लगाए गए हैं, वहां भी उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता, एस आर एन एच के उपाध्यक्ष होने के नाते, सीधे बी एम वी एम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, कंपनी की प्रशिक्षण क्षमताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जाली प्रशिक्षु सूची प्रस्तुत की और सरकारी भुगतान प्राप्त किया। ये धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं, जिसके लिए कार्यवाही जारी रखने की आवश्यकता है। [पैरा 34, 38, 39]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 120 बी –

धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात – प्रथम दृष्टया मामला –

माना गया कि याचिकाकर्ता ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी के 38 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र हैं (जबकि केवल एक केंद्र मौजूद था), निविदा शर्तों को दरकिनार करने के लिए उप-अनुबंध किए, और जाली प्रशिक्षु सूचियाँ प्रस्तुत कीं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। ये कृत्य प्रथम दृष्टया आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का खुलासा करते हैं। [पैरा 33, 34, 39]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – धारा 13(1)(डी) को 13(2) के साथ पढ़ा जाए – सार्वजनिक धन का दुरुपयोग – निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोज्यता –

चूंकि यह अपराध सरकारी अधिकारियों और निजी संस्थाओं के बीच बीएमवीएम योजना के तहत सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए साजिश से जुड़ा है, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होते हैं। याचिकाकर्ता की भूमिका ऐसी साजिश के दायरे में आती है। [पैरा 20, 34]

कॉर्पोरेट कानून – प्रतिनिधि दायित्व – कंपनी को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया – अधिकारियों के अभियोजन पर प्रभाव –

न्यायालय ने कहा कि कंपनी को अभियुक्त के रूप में पेश न किए जाने से उसके अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से कोई रोक नहीं है, जहां उनके खिलाफ धोखाधड़ी और गलत बयानी के प्रत्यक्ष आरोप हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामले को शरद कुमार सांघी और मकसूद सैयद जैसे उदाहरणों से अलग बताया, जहां ऐसी कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं दिखाई गई थी। [पैरा 34, 35, 38]

न्याय दृष्टान्त

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, **1992 सप (1) एस सी सी 335** – लागू; नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, **2021 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 315** – लागू; शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे, **(2015) 12 एस सी सी 781** – प्रतिष्ठित; मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात

राज्य , **(2008) 5 एस सी सी 668** – प्रतिष्ठित; सुशील सेठी बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य , **(2020) 3 एस सी सी 240** – संदर्भित; हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, **(2000) 4 एस सी सी 168** – लागू; आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता, **(2009) 1 एस सी सी 516** – संदर्भित; दिल्ली रेस क्लब लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **2024 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 2248** – लागू

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय दंड संहिता, 1860; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

मुख्य शब्दों की सूची

धारा 482 सीआरपीसी; प्रतिनिधिक दायित्व; कॉर्पोरेट धोखाधड़ी; सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग; धोखाधड़ी; आपराधिक विश्वासघात; जालसाजी; बीएमवीएम घोटाला; सरकारी अनुबंध; उप-ठेका

प्रकरण से उत्पन्न

विशेष मामला संख्या 343/2017, जो सतर्कता पुलिस थाना मामला संख्या 81/2017 से उत्पन्न हुआ है और आरोप पत्र संख्या 20/2019 दिनांक 25.04.2019

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री ध्रुबा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मोहम्मद नजीर अंसारी, अधिवक्ता; श्री अरूप कुमार चोंगदार, अधिवक्ता; सुश्री ईशा, अधिवक्ता

विपक्षी पक्षों के लिए: श्री परमेश्वर मेहता, ए.पी.पी.; श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ सतर्कता अधिवक्ता; श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री उत्कर्ष भूषण, अधिवक्ता; सुश्री अर्चना पालकर खोपड़े, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की आपराधिक विविध वाद सं. 21160

कांड सं. 81 वर्ष-2017 थाना-सतर्कता, जिला-पटना से उत्पन्न

==========

सौरव बसु, पिता-श्री अधीर कुमार बोस, निवासी फ्लैट नं. 6/201, शक्ति कुंज अपार्टमेंट, प्लॉट सं. बी-9/3, गौतम बुद्ध नगर, सेक्टर-62, नोएडा, थाना- सेक्टर-59 नोएडा, जिला-नोएडा (उत्तर प्रदेश)

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त डी. जी., सतर्कता जांच ब्यूरो, बिहार, पटना
3. पुलिस अधीक्षक-सह-एस. एच. ओ., सतर्कता थाना, पटना
4. पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता जांच ब्यूरो, पटना

.... विपरीत पक्ष

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री ध्रुबा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		मो. नजीर अंसारी, अधिवक्ता
		श्री अरूप कुमार चोंगदार, अधिवक्ता
		सुश्री ईशा, अधिवक्ता
विपक्षी/ओं के लिए	:	श्री परमेश्वर मेहता, स. लो. अ.
सतर्कता विभाग के लिए	:	श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री उत्कर्ष भूषण, अधिवक्ता

सुश्री अर्चना पालकर खोपडे, अधिवक्ता

==========

समक्ष - माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार
सी. ए. वी. निर्णय
दिनांक : 13-09-2024

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुबा मुखर्जी के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री अरूप कुमार चोंगदार और सतर्कता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार को सुना है।

2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान आवेदन दायर करके इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, 2017 का सतर्कता थाना मामला सं. 81 से उत्पन्न 2017 का विशेष मामला सं. 343 में उसके विरुद्ध लंबित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और दिनांक 25.04.2019 के आरोप-पत्र सं. 20/2019 को रद्द करने की मांग की है, जिसमें याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए और 120(बी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) पठित 13(2) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।

3. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, मामले के अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैंः श्री अरुण कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता जाँच ब्यूरो, पटना द्वारा की गई जाँच के आधार पर उपरोक्त सतर्कता मामला बिहार सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत स्थापित बिहार महादलित विकास मिशन (इसके बाद "बी एम वी एम" के रूप में संदर्भित) की योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के

संबंध में सतर्कता एवं अन्य विभागों द्वारा जारी रिपोर्ट के आलोक में शुरू किया गया है। बी. एम. वी. एम. के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे दशरथ मांझी कौशल विकास योजना; मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना; विशेष विद्यालय और छात्रावास आदि। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत समुदाय के लड़के -लड़कियों को मुफ्त तकनीकी शिक्षा दी जानी है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। बी. एम. वी. एम. की स्थापना 2007 में हुई थी लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण वर्ष 2010 में शुरू किया गया था।

4. शिकायत के आलोक में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड के लिए छात्रों के प्रशिक्षण के नाम पर की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की जांच की गई थी। 29.03.2011 को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड के प्रशिक्षण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (जिसे आगे "ई ओ आई" कहा जाएगा) के नाम से निविदा प्रकाशित की गई थी और उक्त उद्देश्य के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। निविदा आमंत्रित की गई थी; इसके जवाब में, दस कंपनियों ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद, श्री राम न्यू होराइजन्स (आगे "एस आर एन एच" के रूप में संदर्भित) का प्रस्ताव संतोषजनक पाया गया और तदनुसार, चयन समिति ने पूर्व उल्लिखित कार्य के लिए इसके नाम की सिफारिश की। उपरोक्त कंपनी के साथ 23.09.2011 पर समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार, 3445 छात्रों को 4081/- रुपये प्रति उम्मीदवार की दर से प्रशिक्षण दिया जाना था। और उक्त धन का 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण परीक्षा और प्रमाणन के पूरा होने के बाद ही दिया जाना था। यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने 3445 छात्रों को प्रशिक्षण दिया, लेकिन उनका सत्यापन नहीं किया गया और उन्हें 4081/- रुपये के स्थान पर 2081/-की दर से 98,41,322/- रुपये का भुगतान किया गया था, वह भी प्रशिक्षुओं के सत्यापन के बिना। सभी प्रशिक्षण स्थापना की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था और समझौते

पर सौरव बसु (याचिकाकर्ता) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो उस समय एस आर एन एच के उपाध्यक्ष थे।

5. समझौते के आलोक में, एस. आर. एन. एच. ने बिहार के विभिन्न जिलों में माइक्रोसॉफ्ट ट्रेड से 17.11.2011 से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया और उसे वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 10,29,228/- रु और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 89,23,923/- का भुगतान किया गया। एजेंसी ने कथित तौर पर 3445 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया था, लेकिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की और 70 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया और शेष 30 प्रतिशत परीक्षा और प्रमाणन के बाद ही दिया जाना था।

6. इसी तरह, वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में, एस. आर. एन. एच. को 1,16,74,072/- रुपए का भुगतान किया गया और वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, यह कहा गया है कि एस. आर. एन. एच. ने 9573 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया। यह भी पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इंडस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लिमिटेड को उचित सत्यापन के वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए 2.68 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और यह स्पष्ट रूप से आरोपी व्यक्तियों की गहरी साजिश को दर्शाता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि एस. आर. एन. एच. को प्रमाणन पर लागत लेने के बाद राशि का भुगतान किया जाना चाहिए और 20,000 प्रशिक्षुओं के लिए 70 प्रतिशत राशि 3,30,36,289/- रुपये का भुगतान किया गया था लेकिन केवल 9573 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया था और प्रबंधन सूचना प्रणाली में उनकी परीक्षा और प्रमाणन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुखर्जी ने जांच रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है, कहा कि एस. आर. एन. एच. एक गैर-सरकारी कंपनी है, जो पिछले 29 वर्षों से व्यवसाय में है। याचिकाकर्ता एक बड़ी टीम के

साथ कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में काम करता था। वे न तो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे और न ही शेयरधारक। सरकार द्वारा किए गए सभी भुगतान कंपनी के आधिकारिक खाते में चले गए। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से कोई पैसा दिया गया हो या याचिकाकर्ता को किसी लेनदेन से कोई लाभ हुआ हो।

8. एस आर एन एच के उपाध्यक्ष (संचालन) होने के नाते याचिकाकर्ता ने कंपनी के निर्देश पर अक्टूबर, 2011 में दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बी एम वी एम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की समाप्ति की तारीख 17 अक्टूबर, 2012 बताई गई थी। इस अवधि के दौरान, जब वे उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, कंपनी को केवल 10,06,584/-रूपए समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार अग्रिम भुगतान के तौर पर मिले। उसके बाद याचिकाकर्ता की रिपोर्टिंग 8 दिसंबर, 2012 को डॉ. अरविंद शुक्ला (कार्यकारी निदेशक) को स्थानांतरित कर दी गई। जनवरी, 2013 में याचिकाकर्ता को स्थानांतरित कर दिया गया और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और अन्य पूर्वोत्तर परियोजनाओं के साथ साझेदारी शुरू करने का प्रभार दिया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता जनवरी, 2013 के बाद से बी एम वी एम परियोजना में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद, 10.05.2013 को बिहार समन्वयक श्री मनितोष कुमार द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो कथित लेनदेन के बाद से प्रभावी था। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने दिसंबर, 2013 में संगठन एस. आर. एन. एच. छोड़ दिया था।

9. याचिकाकर्ता को अन्य अभियुक्तों के साथ प्राथमिकी के अलावा आरोप पत्र में भी अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। हालाँकि, पूरे लेन-देन में उनकी कोई भूमिका नहीं है जिसके आधार पर उन्हें आरोपी बनाया जा सके, आरोप पत्र तो दूर की बात

है। भले ही आरोप को सच मान लिया गया हो और पूरी तरह से सही माना गया हो, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता है। अपराध का कोई भी घटक किसी भी दंडात्मक प्रावधान के तहत मामला बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है। उनके तर्क के समर्थन में, न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जो इस प्रकार हैंः ***थर्मैक्स लिमिटेड और अन्य बनाम के. एम. जॉनी और अन्य, (2011) 13 एस. सी. सी. 412; दलीप कौर और अन्य बनाम जगनार सिंह और अन्य, (2009) 14 एस. सी. सी. 696; शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और एक अन्य, (2018) 7 एस. सी. सी. 581; और मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य, (2009) 8 एस. सी. सी. 751।***

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व उल्लिखित निर्णयों पर भरोसा करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुखर्जी ने आगे तर्क दिया कि आरोपों के सारे पहलू बी एम वी एम की योजना के कार्यान्वयन में की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी से संबंधित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रशिक्षण देने के नाम पर चयनित कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से, अंतिम लाभार्थी उक्त कंपनियां और उक्त सरकारी अधिकारी रहे हैं जो भारी मात्रा में धन की हेराफेरी में शामिल हैं। इसमें याचिकाकर्ता की एकमात्र भूमिका एस. आर. एन. एच. की ओर से आधिकारिक उपाध्यक्ष होने के नाते समझौते पर हस्ताक्षर करने में है। यह आरोप होने के कारण, यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता जांच एजेंसी के लिए यह आवश्यक था की वह कंपनी, अर्थात् एस. आर. एन. एच. को एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत करे और आगे कथित अपराध में याचिकाकर्ता की विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करे, जिसके बिना याचिकाकर्ता जो अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहा था, के खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी, विधिसंगत नहीं मानी जा सकती। आरोप चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, मूल रूप से कंपनी के खिलाफ है और इसमें

याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, ऐसे में जब स्वयं कंपनी को ही आरोपी नहीं बनाया गया है, तो कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता के खिलाफ, कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। कानून की उक्त स्थिति सुस्पष्ट है और इस तरह, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही को कानून की दृष्टि से गलत है और उसे रद्द किया जाना चाहिए।

11. उपरोक्त प्रस्तुतियों को मजबूत करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे, (2015) 12 एस. सी. सी. 781*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जाता है जिसमे जिसमे कहा गया है:

> *"11. इस मामले में जैसा की शिकायतकर्ता के प्रारंभिक बयान से पता चलता है कि आरोप कंपनी के खिलाफ हैं, लेकिन कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और इसलिए आरोप केवल प्रबंध निदेशक तक ही सीमित हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, आरोप अस्पष्ट हैं और वास्तव में, मुख्य रूप से आरोप कंपनी के खिलाफ हैं। प्रबंध निदेशक के खिलाफ कोई विविष्ट आरोप नहीं है। जब किसी कंपनी को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, तो इसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, भले ही कुछ कानूनों के तहत प्रतिनिधि दायित्व निर्धारित किया गया हो। ऐसा तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (प्रा.) लिमिटेड [अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (प्रा.) लिमिटेड, (2012) 5 एस. सी. सी. 661:(2012) 3 एस. सी. सी. (दी.) 350:(2012) 3 एस. सी. सी. (आ.)*

241] परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के संदर्भ में माना है।

12. इसके अलावे **मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2008) 5 एस. सी. सी. 668** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी निर्भरता रखी गई है।सम्बंधित अनुच्छेद नीचे उद्धृत किया गया हैः

> *"13. जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) या धारा 200 के संदर्भ में दायर शिकायत याचिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, वहां दंडाधिकारी को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रतिनिधि दायित्व को संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है जब आरोपी कंपनी हो। विद्वान दंडाधिकारी अपने सामने सही प्रश्न रखने में विफल रहे कि क्या शिकायत याचिका, भले ही अंकित मूल्य दी गई हो और पूरी तरह से सही मानी गई हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि यहाँ उत्तरदाता किसी भी अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। बैंक एक निगमित निकाय है। प्रबंध निदेशक और निदेशक का प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होगा बशर्ते कानून में उस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो। निस्संदेह, कानूनों में ऐसे प्रतिनिधिक दायित्वों को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता की ओर से आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है जिस पर प्रतिनिधिक दायित्व के प्रावधान लागू होंगे।*

13. ***सुशील सेठी और अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य, (2020)***

3 एस. सी. सी. 240, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रतिनिधिक दायित्व का गठन करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसके अभाव में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। उपरोक्त आरोप के तथ्य और कानून के स्थापित सिद्धांत की स्थिति में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य, (1977) 2 एससीसी 699*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया और यह तर्क दिया गया कि दं. प्र. सं. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को किसी कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए कार्यवाही को रद्द किया जाना आवश्यक है। ***देवेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2009) 7 एस. सी. सी. 495*** के मामले में दिया गया निर्णय को भी इस दलील को पुष्ट करने के लिए रखा गया है कि उच्च न्यायालय आम तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप, भले ही पूरी तरह से सही माने गए हों, कोई अपराध नहीं बनाते हैं। जब प्राथमिकी में लगाए गए आरोप या जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय में किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के परेशान करने को प्रोत्साहित नहीं करेंगे।

14. अंत में यह तर्क दिया जाता है कि इसी तरह की स्थिति में, एक व्यक्ति सरद कुमार झा, जिस पर मैसर्स इंडस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से उक्त कंपनी के निदेशक के रूप में एक समझौते को निष्पादित करने का आरोप लगाया गया है ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जिसमे 2018 की आपराधिक विविध वाद सं. 66927, दिनांक 30.08.2018 के संज्ञान के आदेश को चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने

दिनांक 26.04.2024 के अपने आदेश द्वारा ***आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता और अन्य [(2009) 1 एस. सी. सी. 516] और सुशील सेठी और एक अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य [(2020) 3 एस. सी. सी. 248]*** से मार्गदर्शन लेते हुए आक्षेपित संज्ञान के आदेश को रद्द कर दिया, जिसकी प्रति भी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

15. उपरोक्तदलीलों का विरोध करते हुए, सतर्कता विभाग के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार ने प्राथमिकी और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री का उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एस. आर. एन. एच. का उपाध्यक्ष होने के नाते इस तथ्य से परिचित था कि कंपनी का पटना जिले के अलावा किसी अन्य जिले में कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं था। वास्तव में, अनुबंध जीतने के लिए, याचिकाकर्ता ने बी एम वी एम को लिखित रूप में बताया था कि एस आर एन एच की सभी 38 जिलों में उपस्थिति है। इस प्रकार झूठ के लिए, याचिकाकर्ता स्वयं अपने आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त तथ्य को याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी के समक्ष अपने बचाव के बयान में भी स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता के इस कृत्य के कारण एस. आर. एन. एच. में उनके कार्यकाल के दौरान (23.03.2013 तक) 51,75,381/- रुपए की सरकारी धन का आपराधिक दुरुपयोग हुआ। जबकि एस. आर. एन. एच. द्वारा कुल 2,16,27,233/- रुपये की धनराशि का गबन किया गया। जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षुओं की सूची याचिकाकर्ता द्वारा बी एम वी एम को विधिवत प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर भुगतान प्राप्त किया गया है, हालांकि चयन सूची में की गई प्रविष्टियां दोहरेपन और जालसाजी से ग्रस्त हैं। उपरोक्त तथ्य को केस डायरी के विभिन्न अनुच्छेदों में भी उजागर किया गया है जिसे इस न्यायालय के समक्ष विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पढ़ा गया है। आई टी ई टी आई लिमिटेड और अपर्णदीप के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए समझौते का गुप्त और गोपनीय निष्पादन बी एम वी एम द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी को प्रशिक्षुओं की सूची से स्पस्ट

रूप से पता चलता है की याचिकाकर्ता ने ही बी एम वी एम से प्राप्त धनराशि को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य 4084/- रुपये में से 72 प्रतिशत और 28 प्रतिशत प्रति प्रशिक्षु के अनुपात में साझा करने का एक सूत्र तैयार किया गया था। एस. आर. एन. एच. के कर्मचारियों सहित गवाहों ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि यह याचिकाकर्ता ने ही अनुबंध हासिल करने के लिए बिहार के 38 जिलों में एस. आर. एन. एच. की उपस्थिति दिखाने वाले ई. ओ. आई.-III में दस्तावेजों को गलत और जानबूझकर संलग्न किया था।

16. सतर्कता विभाग के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार ने इस न्यायालय के समक्ष यह भी आग्रह किया कि ***शरद कुमार सांघी और मकसूद सैयद (उपरोक्त)*** के मामले में स्थापित कानूनी स्थिति पर कोई विवाद नहीं है कि यदि आरोप कंपनी के खिलाफ हैं, लेकिन कंपनी को एक पक्ष के रूप में नहीं रखा गया है, तो इसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, भले ही कुछ कानूनों के तहत प्रतिनिधिक दायित्व निर्धारित किया गया हो। हालाँकि, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी एक पक्षकार नहीं है, बल्कि कंपनी का अधिकारी है, जिसने सरकारी धन का दुरुपयोग करने या सरकारी खजाने की हेराफेरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्राथमिकी में उसके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं; और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री ऐसी परिस्थितियों में ऐसे अधिकारी की संलिप्तता के बारे में स्पस्ट रूप से बताती है, भले ही कंपनी को आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया हो; अकेले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने में कोई बाधा नहीं है।

17. श्री कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी ***शरद कुमार सांघी (उपरोक्त)*** के इसी तरह के निर्णय पर भरोसा जताया और तर्क दिया कि केवल कंपनी के प्रबंध निदेशक या अधिकारी के खिलाफ विशिष्ट आरोप के अभाव में या यहां तक कि जहां कुछ कानूनों के तहत प्रतिनिधिक दायित्व निर्धारित किया गया हो, कंपनी को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किए

बिना, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। हालांकि, न्यायालय ने माना है कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी को शामिल करने का इरादा रखता है, तो प्रतिनिधिक दायित्व स्थापित करने के लिए आवश्यक आरोप लगाना आवश्यक है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि यह याचिकाकर्ता ही था जिसने न केवल बी एम वी एम के साथ समझौते को निष्पादित किया, बल्कि अनुबंध हासिल करने के लिए एक झूठी प्रसूति की और वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं की एक सूची प्रस्तुत की, जो नक़ल और जालसाजी से भरी थी।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यक़ीनन, आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है क्योंकि आरोपियों की सूची में से कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं। प्राथमिकी के साथ-साथ आरोप पत्र और जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री अपराधों का गठन करती है जिसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ी। संज्ञान हमेशा अपराधों का होता है और आरोप तय करते समय इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने क्या भूमिका निभाई है और किसके लिए अलग से आरोप तय किये जाएंगे। इस प्रकार, आरोप पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही में कोई कमी नहीं है।

19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरद कुमार झा के मामले में, जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष उस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की थी जिसमे 2017 के सतर्कता थाना कांड सं. 81 जो की 2018 की अपराध विविध वाद सं. 66927 में 2017 के विशेष कांड सं. 343 से सम्बंधित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता (शरद कुमार झा) के विरुद्ध संज्ञान और कार्यवाही जारी रखने का आदेश रद्द कर दिया गया और ख़ारिज कर दिया गया, वह याचिकाकर्ता के मामले के समान नहीं है क्योंकि उसके मामले में यह नहीं पाया गया कि याचिकाकर्ता मेसर्स आई आई आई एम लिमिटेड का निदेशक होने के नाते याचिकाकर्ता का

इरादा बी एम वी एम के साथ समझौते को निष्पादित करने की शुरुआत में सरकार को धोखा देने का था, और मैसर्स आई आई आई एम लिमिटेड के पक्ष में एक मध्यस्थता पुरस्कार था, जिसने प्रथम दृष्टया मेसर्स आई आई आई एम लिमिटेड के साथ-साथ शरद कुमार झा की ओर से वित्तीय देनदारियों के आरोप को नकार दिया। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि बिहार के अन्य जिलों के संबंध में जांच अभी भी चल रही है, जिससे आरोपी याचिकाकर्ता और एस. आर. एन. एच. की अपराध में संलिप्तता के सम्बन्ध में नए सबूत भी सामने आ सकते हैं, जिसके लिए अलग से पूरक आरोप पत्र दायर किया जा सकता है।

20. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को ध्यान से सुना है। दं. प्र. सं. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति न दी जाये और जब भी न्यायालय को पता लगे कि किसी कार्यवाही की शुरुआत या उसे जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो उसे न्याय के उद्देश्य से रद्द और निरस्त किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, यह सावधानी बरतना आवश्यक है कि अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को सतर्क रहना होगा और शक्ति का उपयोग संयम से करना होगा। वैधानिक प्रावधानों पर उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रसिद्ध निर्णय ***हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335*** में विचार किया था, जिसमें कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं जहां न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

21. ***निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*** के मामले में ***जिसकी रिपोर्ट 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस सी 315*** में प्रकाशित हुई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून के निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किये जहाँ अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग

किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए ,

"57. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, ख्वाजा नजीर अहमद (उपरोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से ही,विधि के निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं:

i) पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

ii) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का प्राथमिकी में खुलासा नहीं किया जाता है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम मामलों' में सावधानीपूर्वक संयम से किया जाना चाहिए। (दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों के तहत रद्द करने के लिए लागू मानक को धारा 482 दं. प्र. सं. के तहत मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किया गये मानदंड के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले स्पष्ट किया गया है);

v) किसी प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, न्यायालय प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू नहीं कर सकती है;

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

vii) किसी शिकायत/प्राथमिकी को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभ घटना होनी चाहिए;

viii) आम तौर पर, न्यायालयों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के ये दोनो दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालांकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को दं. प्र. सं. की धारा 482 द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए मान्यता प्राप्त है।

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, अतिव्यापी नहीं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मनमानी या मनमर्जी से कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्राथमिकी कोई विश्वकोश नहीं है जिसमे दर्ज अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच चल रही हो, तो न्यायालय को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना

जल्दबाजी होगी कि शिकायत/प्राथमिकी जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के दौरान या बाद में, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई तथ्य नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है जिस पर विद्वान दंडाधिकारी द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) धारा 482, दं. प्र. सं. के तहत शक्तियां बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक परिश्रमी कर्तव्य आरोपित करता है;

xiv) तथापि, साथ ही, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो रद्द करने के मानदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आर. पी. कपूर (ऊपरोक्त) और भजन लाल (ऊपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, उसे प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने का अधिकार है; और

xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय जब धारा 482 दं. प्र. सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करती है तो उसे केवल इस बात पर विचार करना होता है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं और उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आरोप एक संज्ञेय अपराध हैं या नहीं और न्यायालय को जांच एजेंसी/पुलिस को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होगी।

22. याचिकाकर्ता 2017 का विशेष मामला सं. 343 में याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरे आपराधिक अभियोजन को रद्द करने की मांग कर रहा है, जो 2017 के सतर्कता थाना मामला सं. 81 और 2019 के सं. 20 वाले आरोप पत्र से उत्पन्न होता है, जो सात अन्य नामित अभियुक्त व्यक्तियों के साथ याचिकाकर्ता से संबंधित है। इस मामले में शेष अभियुक्तों के खिलाफ आगे की जाँच और साक्ष्य एकत्र करने का काम अभी भी जारी है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के किसी भी दंडात्मक प्रावधान के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, इस स्तर पर बहुत अधिक बल नहीं मिलता है, यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री; प्रथम दृष्टया, जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता सहित सभी आरोपियों के खिलाफ जाँच करने और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है।

23. जाँच के दौरान, यह सामने आया है कि बी. एम. वी. एम. की 2008 की फाइल सं. 06 जो ई. ओ. आई.-III से संबंधित है में यह स्पष्ट किया गया है कि मिशन निदेशक, श्री प्रभात कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक चयनित कंपनियों द्वारा प्रस्तुत ई. ओ. आई. पर निर्णय लेने के लिए और इसके वित्तीय पहलू पर भी निर्णय लेने के लिए बुलाई गई थी। ई. ओ. आई. की तुलना करने के लिए तैयार की गई तुलनात्मक तालिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 38 जिलों में इसकी उपस्थिति का हवाला दिया था, जिसका अर्थ है कि सभी 38 जिलों में उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड में प्रमाणित प्रशिक्षकों से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र पूरी तरह से कार्यात्मक थे। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, उनके प्रस्ताव को बी एम वी एम द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड के तहत एससी/एसटी युवाओं को तीन महीने का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया।

24. हालाँकि, उपरोक्त जानकारी झूठी पाई गई और वास्तव में याचिकाकर्ता ने अपनी कंपनी को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए ईओआई-III में गलत या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जिससे यह पता चला है कि उस कंपनी के सभी 38 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र हैं। 18.10.2011 पर समझौते के समय, आरोपी याचिकाकर्ता के पास इस ट्रेड के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केवल पटना ही एक एक पूरी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध थी। आरोपी याचिकाकर्ता के पास बिहार के बाकी 37 जिलों में पूरी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण सुविधा नहीं थी। आरोपी याचिकाकर्ता द्वारा बी. एम. वी. एम. के साथ 4081/-रुपये प्रति प्रशिक्षु की दर से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ।

25. बीएमवीएम के साथ 18.10.2011 को समझौते के निष्पादन के बाद, याचिकाकर्ता ने 13.12.2011 को ईशान प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (जिसे आगे आई टी ई टी आई कहा जायेगा) लिमिटेड के निदेशक लाल मोहन यादव के साथ एक नया समझौता किया। उपरोक्त समझौते से पता चलता है कि आई. टी. ई. टी. आई. लिमिटेड की बिहार के 14 जिलों में उपस्थिति थी और बी. एम. वी. एम. द्वारा एस. आर. एन. एच. को प्रदान की गई प्रशिक्षुओं की सूची के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रशिक्षण के लिए आई. टी. ई. टी. आई. को 2200/-रुपये प्रति प्रशिक्षु की दर से भुगतान करने की सहमति व्यक्त की। उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि याचिकाकर्ता ने निविदा में झूठा दावा किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड के तहत प्रशिक्षण के लिए, एस आर एन एच के पास बिहार के सभी 38 जिलों में माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित प्रशिक्षकों से सुसज्जित प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध थी।

26. साथ ही, याचिकाकर्ता ने गुप्त रूप से अपर्णदीप के साथ 4 जिलों अर्थात् गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुप्त रूप से एक

और समझौता किया और शेष जिलों में प्रशिक्षण प्रदान किया। उपरोक्त तरीके से, इस याचिकाकर्ता ने बी. एम. वी. एम. से प्राप्त धन को बी. एम. वी. एम. से प्रति प्रशिक्षु स्वीकार्य 4081/- रूपए में से 28 प्रतिशत और 72 प्रतिशत के अनुपात में साझा करने का एक नया फार्मूला तैयार किया था।

27. जाँच के दौरान यह भी सामने आया है कि याचिकाकर्ता ने दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की सूची भी प्रशिक्षित व्यक्तियों के भुगतान हेतु बी. एम. वी. एम. को प्रस्तुत की थी। हालाँकि, सूची में कई प्रकार की नक़ल और जालसाजी थी जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आरोपी याचिकाकर्ता और सात नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त दिनांक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, 25.04.2019 को 2017 का विशेष मामला सं. 343ए में विद्वान विशेष न्यायालय सतर्कता-I, पटना के समक्ष 2019 का आरोप पत्र सं. 20 प्रस्तुत किया गया ताकि आरोपियों की विरुद्ध आगे की जाँच जारी रखी जा सके एवं और साक्ष्य एकत्र किये जा सकें।

28. प्राथमिकी में लगाए गए आरोप और जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के पूरे दायरे का खुलासा किया गया है, और भले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ अपराध बनते हों/नहीं बनते हों या उसके खिलाफ कुछ अपराध बनते हों, उस पर आरोप तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए, कि कोई अपराध किया गया हो या नहीं या सामग्री किसी अपराध का गठन करती है या नहीं, यह विद्वान न्यायालय को संज्ञान लेते हुए आदेश के समय देखना है।

29. यह सर्वविदित है कि कपटपूर्ण प्रलोभन, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने की अनिवार्य शर्त है। "अनुबंध के उल्लंघन, धन का भुगतान न करने या अनुबंध की शर्तों की अवहेलना और उल्लंघन जैसे दीवानी अपराध और भा. दं. सं. की धारा 420 और 406 के तहत एक दंडनीय अपराध के बीच स्पष्ट अंतर

है। उपर्युक्त प्रावधानों के तत्व स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि धोखाधड़ी का अपराध दो भागों में आता है। पहला, जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करने में धोखाधड़ी या बेईमानी से धोखा देता है। दूसरा, अपराध तब बनता है जब किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए धोखा दिया जाता है जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचता है; शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे धोखा दिया गया माना जाता है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार दोहराया कि धोखाधड़ी के तहत अपराध बनाने के लिए, धोखा देने या छल करने का इरादा शुरू से ही सही होना चाहिए। ***हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 168*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"15. प्रश्न का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। यह प्रलोभन के समय आरोपी के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है, लेकिन इसके बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में ही धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे को सही नहीं दिखाया जाता है, यानि उस समय जब अपराध को किया गयामन जाता है। इसलिए इरादा ही अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसकी धोखाधड़ी या बेईमानी की मंशा थी। वादे को पूरा करने में उनकी विफलता मात्र*

से, यानी वादा करते समय ऐसा दोषपूर्ण इरादा नहीं माना जा सकता है।

31. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2248 के*** मामले में आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच के अंतर को निम्नानुसार रेखांकित किया गया हैः

"24. इस न्यायालय ने एस. डब्ल्यू. पलानीटकर बनाम बिहार राज्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 241 में अपने निर्णय में आपराधिक विश्वासघात (भा. दं. सं. की धारा 406) और धोखाधड़ी (धारा 420) के अपराध के लिए आवश्यक तत्वों में अंतर स्पष्ट किया है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैंः—

"9. आपराधिक विश्वासघात की स्थापना के लिए आवश्यक तत्व हैंः (i) किसी व्यक्ति को संपत्ति या संपत्ति पर कोई आधिपत्य सौंपना, (ii) उस व्यक्ति को सौंपी गयी संपत्ति (क) बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करना या उसे अपने उपयोग में बदलना; या (ख) बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करना या उसका निपटान करना या किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा करने देना (i) कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए जिसमे ऐसे न्यास के निर्वहन का तरीका निर्धारित किया गया हो, (ii)ऐसे न्यास के निर्वहन सम्बंधित किसी भी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन, जिसमें को छुआ गया हो, वह तरीका निर्धारित करना जिसमें ऐसे न्यास का निर्वहन किया जाना है।

10. धोखाधड़ी के अपराध के तत्व इस प्रकार हैं:(i) किसी व्यक्ति को धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन दिया जाना चाहिए, (ii) (क) इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, या किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति रखने की सहमति दने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए; या (ख) इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो वह धोखा न दिए जाने पर नहीं करता; और (iii) (ii) (ख) के के अंतर्गत आने वाले मामलों में, चूक का कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या नुकसान हो या होने की संभावना हो।

25. उपरोक्त से से यह स्पष्ट है कि आपराधिक विश्वासघात (भा. दं. सं. की धारा 406) और धोखाधड़ी (भा. दं. सं. की धारा 420) के अपराधों में विशिष्ट तत्व हैं।

<u>आपराधिक विश्वासघात (भा. दं. सं. की धारा 406) स्थापित होने के लिए—</u>

1) संपत्ति या संपत्ति पर प्रभुत्व के लिए व्यक्ति को सौंपा जाना आवश्यक है, और

2) सौंपे गए व्यक्ति ने:-

क) बेईमानी से अपने उपयोग के लिए संपत्ति का दुरुपयोग या

परिवर्तित किया है, या

ख) बेईमानी से संपत्ति का उपयोग या निपटान किया है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने दिया है जो नियमन का उल्लंघन करता है:

(i) विधि का कोई निर्देश जो न्यास के निर्वहन की विधि निर्धारित करता है; या

ii. न्यास के निर्वहन से सम्बंधित कानूनी अनुबंध (देखें:एस. डब्ल्यू. पी. पलानीटकर (उपरोक्त)

इसी तरह, भा. दं. सं. की धारा 420 के तहत अपराध के संबंध में, आवश्यक तत्व हैं:—

1) किसी भी व्यक्ति को धोखा देना, या तो गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या अन्य कार्रवाई करके या चूक करके;

2) धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति को सौंपने के लिए प्रेरित करना,

3) किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति को अपने पास रखने की सहमति और अंततः जानबूझकर उस व्यक्ति को कुछ ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा (देखें:हरमनप्रीत सिंह अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य, (2009) 7 एस सी सी 712:2009 आपराधिक विधि पत्रिका 3462 (एस सी))

26. इसके अलावा, उपरोक्त दोनों धाराओं में, आपराधिक मनःस्थिति यानी धोखाधड़ी करने का इरादा या बेईमान इरादा होना चाहिए, और धोखाधड़ी के मामले में यह शुरुआत से ही होना चाहिए।.

32.मौजूद तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को बी एम वी एम द्वारा प्रकाशित ई ओ आई की जानकारी होने के बावजूद कि भाग लेने वाली फर्म/कंपनी का बिहार के 38 जिलों में अपना प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रशिक्षण के लिए केवल माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित प्रशिक्षक ही बी एम वी एम को निविदा जमा करने के पात्र थे। याचिकाकर्ता ने निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किया कि एस. आर. एन. एच. का बिहार के सभी 38 जिलों में अपना प्रशिक्षण केंद्र है। हालाँकि इसका केवल एक ही प्रशिक्षण केंद्र है, जो वादा करने या समझौते में प्रवेश करने के समय याचिकाकर्ता के धोखाधड़ी और बेईमान इरादे को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

33. ऐसे अन्य उदाहरण हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं कि याचिकाकर्ता प्रशिक्षुओं की सूची जमा करने में कैसे शामिल था और उसके आधार पर, गलत भुगतान प्राप्त किया; सत्यापन के बाद यह सूची पूरी तरह से नक़ल और जालसाजी से भरी हुई पाई गई। आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी के उपरोक्त कृत्यों के लिए, आरोपी याचिकाकर्ता स्वयं अपने द्वारा किए गए ऐसे आपराधिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी है।

34. अब यह न्यायालय इस मुद्दे पर आता है कि क्या कंपनी को आरोपी के रूप में प्रस्तुत न किये जाने पर, याचिकाकर्ता, जो कंपनी के उपाध्यक्ष का पद संभाल रहा था और बी एम वी एम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था, पर मुकदमा चलाया जा

सकता है। अंतिम निर्णय देने से पहले, ***शरद कुमार सांघी (उपरोक्त)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की प्रासंगिक टिप्पणियों पर प्रकाश डालना उचित होगा, जिसमें यह मन गया था कि प्रबंध निदेशक के खिलाफ विशिष्ट आरोप के अभाव में और कंपनी को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किए बिना, जहां कुछ कानूनों के तहत प्रतिनिधिक दायित्व निर्धारित किया गया है, ऐसे प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। हालांकि, यह आगे स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी को शामिल करने का इरादा रखता है, तो प्रतिनिधिक दायित्व स्थापित करने के लिए आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है।

35. ***मकसूद सैय्यद (ऊपरोक्त)*** के मामले में, माननीय न्यायालय ने माना है कि दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रतिनिधिक दायित्व को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है, जब आरोपी कंपनी ही हो। विद्वान दंडाधिकारी अपने सामने सही प्रश्न रखने में विफल रहे कि क्या शिकायत याचिका, भले ही अंकित मूल्य दी गई हो और पूरी तरह से सही मानी गई हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि उत्तरदाता किसी भी अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे। बैंक एक निगमित निकाय है। प्रबंध निदेशक और निदेशक का प्रतिनिधिक दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब कानून में उस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो। शिकायतकर्ता की ओर से आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है जो प्रतिनिधिक दायित्व का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करे। माननीय न्यायालय ने कंपनी के किसी भी उत्तरदाता अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाया कि उनके पास अपने वैधानिक या आधिकारिक कर्तव्य के प्रभारी के रूप में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना था, इसलिए उसने अपीलकर्ता, जो क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता था, द्वारा दायर अपील को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

36. ***आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता और अन्य , (2009) 1 एस. सी. सी. 516*** में सूचित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> *"41. यदि इस प्रकार, किसी व्यक्ति को कंपनी के कृत्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी मानते हुए कार्रवाई करनी है, तो कंपनी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऐसा करना उचित होगा, क्योकि कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति दोनों के खिलाफ कानूनी गल्प खड़ा होता है।.*

37. याचिकाकर्ता की ओर से जिन मामलों का उल्लेख किया गया है, उनमे यह तर्क दिया गया है कि कंपनी को आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, विशेष रूप से ***शरद कुमार सांघी; मकसूद सैयद; सुशील सेठी (उपरोक्त)*** के निर्णय को देखते हुए, पदाधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी कंपनी के पदाधिकारियों को केवल तभी आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जब उनके खिलाफ सीधे आरोप लगाए जाएं। दूसरे शब्दों में, शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को यह साबित करना होता है कि पदाधिकारी द्वारा किए गए धोखे के कारण उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पदधारकों का प्रतिनिधिक दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब कानून में उस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो। क़ानूनों में ऐसे प्रतिनिधिक दायित्व को निर्धारित करने वाले प्रावधान होने चाहिए। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए, शिकायतकर्ता/सूचनादाता की ओर से आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है, जिसपर प्रतिनिधिक दायित्व के प्रावधान लागू होंगे।

38. कानून, वास्तव में, किसी कंपनी के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकता है, अगर प्रत्यक्ष रूप से उसके खिलाफ आरोप या रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री दंडात्मक प्रावधानों के तहत अपराध है। इस मामले में, यह सच है कि याचिकाकर्ता ने कंपनी

के उपाध्यक्ष होने के नाते बी एम वी एम के साथ एक समझौता किया है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी के पास पटना जिले के अलावा अन्य जिलों में कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, याचिकाकर्ता ने बी एम वी एम को लिखित रूप में प्रस्तुत किया था कि एस आर एन एच की सभी 38 जिलों में उपस्थिति है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता का इरादा झूठा प्रतिनिधित्व करके अनुबंध जीतने का था और इस तरह, उसने धोखाधड़ी की।

39. समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, याचिकाकर्ता इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था और इस तरह के झूठ के लिए, याचिकाकर्ता अपने आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी था। जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि याचिकाकर्ता ने चोरी-छिपे और गुप्त तरीके से आई. टी. ई. टी. आई. लिमिटेड के साथ-साथ अपर्णदीप के साथ बी. एम. वी. एम. द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी को दी गई प्रशिक्षुओं की सूची में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेड का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए के एक समझौता किया था, जिसमे उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बी. एम. वी. एम. से प्राप्त धनराशि को अनुमेय भुगतान में से अनुपातिक अनुपात में बांटने का एक सूत्र तैयार किया गया था। फिर भी, समझौते में उप-अनुबंध के ऐसे कोई नियम और शर्तें नहीं थीं। इसके बावजूद, अनुबंध हासिल करने और सरकारी खजाने की हेराफेरी के लिए उप-अनुबंध का एक तरीका अपनाया गया है। जांच से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने प्रशिक्षित व्यक्तियों के बदले भुगतान प्राप्त करने के लिए दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षुओं की गलत या मनगढ़ंत सूची बी. एम. वी. एम. को सौंपी थी, जिसमें प्रशिक्षुओं की सूची में कई तरह की नक़ल और जालसाजी शामिल हैं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। अपराध में संलिप्तता दिखाने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच के दौरान भारी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। यह न्यायालय इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि मामले में शेष आरोपियों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है और आगे सबूत इकठ्ठा करने के लिए भी जाँच जारी है। इस

प्रकार, यदि किसी कंपनी या अन्य व्यक्ति की मिलीभुगत सामने आती है, तो बाद में उसे आरोपी बनाया जाएगा।

40. जहाँ तक मेसर्स आई. आई. आई. एम. लिमिटेड के निदेशक शरद कुमार झा का मामला है, उनका मामला याचिकाकर्ता के समान नहीं है, क्योंकि वे बी. एम. वी. एम. के साथ एक अलग इकाई के रूप में अनुबंध के लिए निजी तौर पर मौजूद थे और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चलता हो कि उसने धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात करके सरकारी निधि के दुरुपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेसर्स आई. आई. आई. एम. लिमिटेड के निदेशक शरद कुमार झा ने सामग्री, पुस्तकों आदि की आपूर्ति करने और केवल परीक्षा आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समझौता किया है, जबकि प्रशिक्षण का काम एस. आर. एन. एच. द्वारा किया जाना था। इसके अलावा, समझौते के तहत एक मध्यस्थता खंड था और मध्यस्थता का फैसला भी मेसर्स आई आई आई एम लिमिटेड के पक्ष में गया।

41. याचिकाकर्ता की यह दलील कि उन्होंने वर्ष 2019 में ही अपना इस्तीफा दे दिया है और अन्य कार्यभार सौंपे हैं, इस न्यायालय की राय में, बचाव पक्ष का एक बयान होने के नाते, किसी भी निर्विवाद दस्तावेज के अभाव में इस स्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है; फिर भी इस संबंध में किसी भी कागज की चिट को अभिलेख में नहीं लाया गया है।

42. इस न्यायालय की राय में, इस स्तर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरे आपराधिक अभियोजन को अपास्त करना, इसे बीच में ही रोकने के बराबर होगा, जब अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जांच अभी भी चल रही है। इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा आरोप तय करते समय बहुत अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है कि क्या प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के साथ-साथ

जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है।

43. यह न्यायालय तथ्यों के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य और विधि के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह नहीं पाता है कि याचिकाकर्ता दं. प्र. सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का मामला बनाने में सक्षम है।

44. आवेदन खारिज किया जाता है।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

शिवांक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।